निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 11/2024
दायरा दिनांकः–07.05.2024
निर्णय दिनांकः– 16.7.24

उनवान

राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु आयु 48 वर्ष पुत्र पांच्या उर्फ पांचुलाल जाति लोधा निवासी फलिया हाल निवासी एजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 16.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 104/105 खसरा नम्बर 129/1 की 0.8852 है0 भूमि ग्राम फलिया तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/25 स्थित है तथा भूमि खाता संख्या 62/66 खसरा नम्बर 322/1 की 0.2782 है0 खसरा नम्बर 323/1 की 0.0253 है0 खसरा नम्बर 330/1 की 0.0632 है0 खसरा नम्बर 331/1 की रकवा 0.126 है0 खसरा नम्बर 332/1 की रकबा 0.0885 है0 खसरा नम्बर 335/1 की रकवा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 338/1 की रकबा 0.0253 है0 कुल 7 किता तादादी 0.5310 है0 भूमि ग्राम फलिया में स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/25 दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी का उक्त भूमि में फसल खराबी का मुआवजा राशि व बैंक में के.सी.सी. लेने में राजेन्द्र के स्थान पर खाते में राजु नाम होने से काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हुआ तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि का इंतकाल खोला तब प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर राजु पुत्र पांच्या दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम खातेदार राजेन्द्र उर्फ राजु पुत्र पांच्या उर्फ पांचुलाल जाति लोधा है किन्तु हल्का पटवारी द्वारा खाते में नाम राजु दर्ज कर दिया गया है जिससे मुआवजा राशि व के.सी.सी. लेने में काफी परेशानी हो रही है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में राजेन्द्र नाम दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 104 नकल जमाबन्दी ग्राम फलिया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 62 नकल फोटो प्रति आधार कार्ड, राजेन्द्र, फोटो प्रति बैक पास बुक, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फलिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/2 दर्ज है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हुआ तब फोती नामान्तरण खोलते समय राजेन्द्र के स्थान पर राजु पुत्र पांच्या दर्ज कर दिया है प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में राजेन्द्र पुत्र पांचुलाल दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजु दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभो से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजु पुत्र पांच्या के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र पांचुलाल दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम फलिया सम्वत 2075–78 खाता संख्या 104 एवं 62 में राजु पुत्र पांच्या दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड बैक पास बुक, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, में राजेन्द्र पुत्र पांचुलाल अंकित है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजु पुत्र पांच्या गलत दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में राजेन्द्र पुत्र पांचुलाल सही है इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 105 एवं खाता संख्या 66 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 में राजु पुत्र पांच्या दर्ज है ग्राम वासियों से जानकारी पर राजु पुत्र पांच्या व राजेन्द्र पुत्र पांचुलाल एक ही व्यक्ति है तहसीलदार छबडा में राजु पुत्र पांच्या के स्थान पर राजु उर्फ राजेन्द्र पुत्र पांच्या उर्फ पांचुलाल दुरूस्त करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम फलिया तहसील छबडा के खाता संख्या 104 के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 0.8852 है0, खसरा नम्बर 62 के कुल खसरा नम्बर 7 किता रकबा 0.5310 है0 में दर्ज राजु पुत्र पांच्या के स्थान पर राजु उर्फ राजेन्द्र पुत्र पांच्या उर्फ पांचुलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:02 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखंण्ड अधिकारी, छबडा